न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कुजोड़ मल बनाम जवाहरराम वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा मु. नं. – 342/2014	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	पेश किया। जिस पर वकील प्रतिवादी ने "No-Objection" होना अंकित किया। अतः वकील प्रतिवादी की अनापत्ति के आधार पर प्रा० पत्र कायम मुकामी स्वीकार किया जाता है। वकील वादी ने संशोधित शीलिक वाद पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते अग्रिम कार्यवाही पत्रावली दिनांक 22-9-2021 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
22-9-2021	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन हाजिर हुए, ~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 29/9/21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
29/9/21	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन हाजिर हुए ~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20-10-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	वादी/602 28/12/21 (हरिराम प्रजापत) वादी/504
20.10.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– कल्याणपुरा में पेश हुई। वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मय पक्षकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान् 3/1 से 3/4 की ओर से श्री **लगातार —**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	फूलचन्द सामोता एड0 ने एक प्रार्थना पत्र बाबत उनके पिता–पति द्वारा पूर्व में वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत राजीनामा से सहमत होते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति या एतराज नहीं होना बाबत पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 5/3 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश हुआ। ग्राम पंचायत कल्याणपुरा के शिविर में उपस्थित वादी संख्या 1, 4 व 5/2 की पहचान वादीगण वकील श्री झाबर सिंह भारणी एड0 द्वारा एंव उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3/3 की पहचान श्री फूलचन्द सामोता एड0 के द्वारा की गई। वकील वादीगण व प्रतिवादीगण एंव पक्षकारान् ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण व प्रतिवादीगण एंव पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी गई। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री ज़ारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः–कल्याणपुरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
342/2014	2014/689	11.11.2014	20.10.2021

उनवान

1. कजोड़मल पुत्र मंशाराम उम्र– 58 साल
2. रामवतार पुत्र मंशाराम उम्र– 56 साल
3. रामगोपाल पुत्र मंशाराम उम्र– 54 साल
4. हंसराज पुत्र मंशाराम उम्र– 50 साल
5. **रामनारायण पुत्र धन्नाराम (मृत्तक) के बजायः–**

   5/1 श्रीमती झमरी देवी पत्नी स्व0 रामनारायण उम्र– 65 साल
   5/2 परसराम पुत्र स्व0 रामनारायण उम्र–45 साल
   5/3 गीगराज पुत्र स्व0 रामनारायण उम्र–40 साल
   5/4 औमप्रकाश पुत्र स्व0 रामनारायण उम्र–35 साल
   5/5 राजेन्द्र पुत्र स्व0 रामनारायण उम्र–30 साल

   समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी डैरावाली (कल्याणपुरा) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)।

वादीगण

बनाम

1. जवाहरा राम पुत्र भूराराम उम्र–70 साल
2. भगवान सहाय पुत्र भूराराम उम्र–65 साल
3. **रामनाथ पुत्र बालूराम (मृत्तक) के बजायः–**

   3/1 झाबर मल पुत्र स्व0 रामनाथ उम्र–40 साल
   3/2 बहादुर सिंह पुत्र स्व0 रामनाथ उम्र–38 साल
   3/3 विनोद कुमार पुत्र स्व0 रामनाथ उम्र–36 साल
   3/4 प्रभाती देवी पत्नी स्व0 रामनाथ उम्र–60 साल
4. रामसहाय पुत्र बालूराम उम्र– 53 साल
5. **श्रवण कुमार पुत्र बालूराम (मृत्तक) के बजायः–**

   5/1 श्रीमती कोयली देवी पत्नि स्व0 श्रवण कुम[illegible]
   5/2 मुकेश पुत्र स्व0 श्रवण कुमार [illegible]
   5/3 दिनेश पुत्र स्व0 श्रवण कुमार [illegible]
6. जगन्नाथ पुत्र बालूराम उम्र– 40 साल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:16 IST
Reason: SelfAttested

20/10/21

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सत्यमेव जयते

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम ढ़ाणी डैरावाली (कल्याणपुरा) तहसील श्रीमाधोपुर
7. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री झाबर सिंह भारणी, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री फूलचन्द सामोता, प्रतिवादीगण नं. 1 से 13 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी नं. 7

वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक, बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 55, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीगण की खातेदारी आराज़ीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम ढ़ाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1597, 1601, 1602, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1650 कुल किता 9 कुल रकबा 4.29 हैक्टर ग्राम ढ़ाणी डेरावाली में स्थित है। वादीगण व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार से है जो सजरा खानदान से प्रकट है। प्रस्तुत सजरा खानदान अनुसार उक्त कृषि भूमियॉ वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रिक भूमियॉ है। जिसका पारिवारिक सैटलमेंट बाहमी बंटवारा अर्सा लगभग 50–55 साल पूर्व कर लिया था जिसके मुताबिक भूमि खसरा नम्बर 1608, 1609, 1610, 1650 को वादीगण संख्या 1 ता 4 व वादी संख्या 5 बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज काश्त होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध या सरोकार नहीं है। इसलिए वादीगण उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने अपनी उक्त भूमि में वर्तमान फसल बाजरा, गवार काश्त कर रखा है तथा पूर्णत काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए वादीगण उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम कराने के अधिकारी है। उक्त भूमि बाबत यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.2.19 [illegible] .86 को उक्त भूमियों बाबत न्यायालय सहायक जिलाधीश नीमकाथाना [illegible] अंकित भूमियों की खातेदारी पारिवारिक सैटलमेंट बाहमी बंटवारा अनुसार [illegible] किये जाने हेतु बरूए राजीनामा डिक्री हो गये थें परन्तु उसके आधार पर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हो सकी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
सत्यमेव जयते

20/10/21
दिलीप सिंह
अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वादीगण ने अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमियों को समतल व उपजाउ बनाकर विकसित कर रखी है। वादीगण के नाम भूमियों की खातेदारी दर्ज नहीं होने से वादीगण को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए वादीगण के नाम भूमियों की खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित होने से वादीगण उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने बाबत वादीगण ने प्रतिवादीगण को पहले कई बार कहा परन्तु अर्सा 10 दिन पहले इन्कार हो गये तथा वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत करने की धमकी दी। इसलिए दावा पेश करने बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1, 2, 4, 5/1, 5/2, 6 ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में राजीनामा न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराया है तथा प्रतिवादी सं. 3 के कायम मुकामान वारिसान 3/1 से 3/4 व प्रतिवादी सं. 5 के कायम मुकामान 5/3 के द्वारा वादीगण के वादपत्र को स्वीकार किया जाकर इकबाली जवाब दावा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण संख्या 7 के हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। ग्राम पंचायत कल्याणपुरा में आयोजित शिविर में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3/3 ने उपस्थित होकर वादीगण के नाम खातेदारी अधिकार दिये जाने बाबत स्वीकारोक्ति प्रदान की गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा आज ही अन्य प्रतिवादीगणों के द्वारा वादीगण के पक्ष में सहमति प्रदान कर दिये जाने से वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन वकुलाय उभय पक्षकारान् के द्वारा किया गया है। दौराने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् ने ग्राम पंचायत कल्याणपुरा में आयोजित शिविर में वादी संख्या 1, 4 व 5/2 एंव प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3/3 ने उपस्थित होकर प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए अपनी–अपनी सहमति व्यक्त की है। प्रतिवादी संख्या 3/1 लगायत 3/4 के द्वारा अपने पिता–पति प्रतिवादी संख्या 3 स्व0 रामनाथ पुत्र बालूराम द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार दावा स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री किये जाने में कोई एतराज या आपत्ति नहीं होना स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है। वकुलाय उभय पक्षकारान् व उपस्थित पक्षकारान् ने वादपत्र को लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर डि[illegible] किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:16 IST
Reason: SelfAttested

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी [illegible]त्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध

20/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों में खसरा नम्बर 1608, 1609, 1610, 1650 कुल किता 4 कुल रकबा 0.88 हैक्टर का खातेदार जुवारा, भगवानसहाय पि0 भूरा हि0 2/3, रामनाथ, रामसहाय, श्रवण कुमार, जगन्नाथ पिता बालूराम हिस्सा 1/3 सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमियों बाबत न्यायालय सहायक जिलाधीश नीमकाथाना कैंम्प– श्रीमाधोपुर में दावें में अंकित भूमियों की खातेदारी पारिवारिक सैटलमेंट बाहमी बंटवारा अनुसार दिनांक 11.2.1987 व 27.9.86 को उक्त भूमियों बाबत बरूए राजीनामा डिक्री हो गये थें परन्तु उसके आधार पर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हो सकी। उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रृक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। जिस बाबत प्रतिवादीगण ने वादीगण के पक्ष में राजीनामा व इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत राजीनामा व इकबाली जवाब दावा व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों एंव उपस्थित प्रतिवादीगण की सहमति से वादीगण अपनी कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी की घोषणा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम ढ़ाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1608, 1609, 1610, 1650 कुल किता 4 कुल रकबा 0.88 हैक्टर में वादीगण संख्या 1 ता 4 को हिस्सा 1/2 व वादी संख्या 5 को हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम उक्त भूमि से हजफ किये जाने तथा शेष खसरा नम्बरान की खातेदारी बदस्तूर प्रतिवादीगण के नाम रखी जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् ईस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम ढ़ाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1608, 1609, 1610, 1650 कुल किता 4 कुल रकबा 0.88 हैक्टर में वादीगण संख्या 1 ता 4 को हिस्सा 1/2 व वादी संख्या 5 को हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित [illegible] है तथा प्रतिवादीगण का नाम उक्त भूमि से हजफ किया जाता है [illegible] खातेदारी बदस्तूर प्रतिवादीगण के नाम रखी जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण [illegible] स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्सा व कब्जे काश्त [illegible] किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:16 IST
Reason: SelfAttested

20/10/2
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

श्रीमाधोपुर (सीकर)

तथा ना ही वीमार से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जाँच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरुस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

20/10/21
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– कल्याणपुरा

यह निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायतः– कल्याणपुरा के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

20/10/21
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– कल्याणपुरा

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:16 IST
Reason: SelfAttested